**भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड**
**7वां तल, मयूर भवन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001**

**परिपत्र**

**सं. आई.बी.बी.आई./सी.आई.आर.पी./87/2025** **4 नवम्बर, 2025**

सेवा में,

समस्त रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक,
समस्त मान्यताप्राप्त दिवाला व्यावसायिक संस्थाएं
समस्त रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक एजेंसी
(रजिस्ट्रीकृत ईमेल पतों पर मेल द्वारा और आई.बी.बी.आई. की वैबसाइट पर)

महोदय/महोदया
**विषयः पी.एम.एल.ए. के अधीन विशेष न्यायालयों के समक्ष आई.पी. द्वारा वचनबंध ।**

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन कतिपय मामलों में यह पाया गया है कि कारपोरेट ऋणी की आस्तियां प्रवर्तन निदेशालय(ई.डी.) द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002(पी.एम.एल.ए.) के उपबंधों के अधीन कुर्की के अध्यधीन हैं । ऐसी कुर्क की गई आस्तियों की बहाली से कारपोरेट ऋणी के मूल्य में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हो सकती है और फलस्वरूप उनसे उच्चतर वसूली हो सकती हैं ।

2. तदनुसार, यह सलाह दी जाती है कि ऐसे मामलों में जहां कारपोरेट ऋणी की आस्तियां, पी.एम.एल.ए. के उपबंधों के अधीन कुर्की के अध्यधीन हैं वहां दिवाला व्यावसायिक पी.एम.एल.ए. की धारा 8(7) या धारा 8(8) के अधीन विशेष न्यायालय के समक्ष ऐसी आस्तियों की बहाली के लिए आवेदन फाइल कर सकेगा ।

3. इसके अतिरिक्त, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने विशेष न्यायालयों द्वारा ऐसे आवेदनों के शीघ्र निपटान को सुकर बनाने की दृष्टि से, ई.डी. के परामर्श से दिवाला व्यावसायिक द्वारा आस्तियों की बहाली के लिए आवेदन के साथ दिया जाने वाला मानक वचनबंध तैयार किया है । यह वचनबंध इस परिपत्र के साथ संलग्न किया जाता है ।

4. यह परिपत्र आई.बी.सी. की धारा 196 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जाता है ।

भवदीय

हस्ता.

(राजेश तिवारी)

महा-प्रबंधक

**उपाबंध**

**दिवाला व्यावसायिक द्वारा पी.एम.एल.ए. के अधीन विशेष न्यायालय के समक्ष दिया जाने वाला वचनबंध**

**(समाधान व्यावसायिक द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 8(7) या धारा 8(8) के अधीन आवेदन फाइल करते समय प्रस्तुत किया जाए )**

मैं, (नाम), दिवाला व्यावसायिक, जिसका रजिस्ट्रीकरण सं..... है, .....(कारपोरेट ऋणी) के समाधान व्यावसायिक/परिसमापक के रूप में अपनी हैसियत मैं यह वचनबंध करता हूं कि उक्त कारपोरेट ऋणी का कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया/समापन प्रक्रिया (जो भी लागू हो) के दौरान:

**1. बहाल की गई आस्तियों का उपयोग**

(केवल ऐसे मामलों में लागू होता है जहां संप्रवर्तक दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 29क के अधीन अपात्र है)

क) बहाल की गई आस्तियां, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 32क(2)(i) या (ii) के अंतर्गत आने वाले किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विक्रीत, अंतरित या अन्यथा निस्तारित नहीं की जाएंगी।

ख) बहाल की गई आस्तियों का उपयोग प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी भी ऐसी रीति में नहीं किया जाएगा जिससे ऐसे किसी व्यक्ति या इकाई को फायदा पहुंचता है जो प्रवर्तन निदेशालय या किसी सुसंगत ऐसे अभिकरण द्वारा जिसके आधार पर ई.डी. ने कार्यवाहियां संस्थित की हैं, ई.सी.आई.आर. सं.(...) में अभियुक्त है या उसके अधीन आरोपित है ।

**2. आवधिक रिपोर्टिंग**

**बहाली की तारीख से न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन/विघटन आदेश तक(जो भी लागू हो), मैं माननीय न्यायालय को तिमाही प्रास्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगा, जिसमें निम्नलिखित अंतर्विष्ट होगा-**

(क) बहाली की गई आस्तियों की प्रास्थिति;

(ख) उनके उपयोग या मुद्रीकरण के ब्यौरे;

(ग) किसी वितरण के फायदाग्राहियों की सूची; और

(घ) बहाल की गई संपत्ति के किसी विक्रय या अंतरण की जानकारी ।

**3. दिवाला प्रक्रिया में प्रकटन**

(क) मैने सूचना ज्ञापन/नीलामी सूचना(जो भी लागू हो) में इस प्रस्तुति की तारीख को यथा-विद्यमान ई.डी. कुर्की के अधीन समस्त संपत्तियों को प्रकट किया है ।

(ख) यदि इसके पश्चात् कोई अतिरिक्त ब्यौरे उपलब्ध होते हैं तो मैं उन्हें सूचना ज्ञापन/पश्चात्वर्ती नीलामी सूचनाओं(जो भी लागू हो) के अद्यतन पाठों में प्रकट करूंगा ।

**4. ई.डी. के साथ सहयोग**

मैं अन्वेषण के दौरान ई.डी. को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित हैः

**क) अधिमानी, न्यून-मूल्यांकित, कपटपूर्ण या अतिशय(पी.यू.एफ.ई.) संव्यवहारों के ब्यौरे प्रदान करना, जब भी मुझे उसका पता चलता है;**

**ख) लेनदारों की समिति के ब्यौरे प्रदान करना, जिसके अंतर्गत उसका गठन और मतदान अंश भी है;**

**ग) सफल समाधान आवेदक(एस.आर.ए.)/सफल बोलीकर्ता(जो भी लागू हो) के ब्यौरे प्रदान करना, जिसके अंतर्गत आवेदन और एन.सी.एल.टी. के सुसंगत आदेशों कार्यवाहियों की प्रति भी है ।**

**5. दस्तावेज़ों का प्रस्तुत किया जाना**

मैं इसके अलावा यह वचनबंध करता हूं कि में ई.डी. को, जब भी अनुरोध किया जाता है, निम्नलिखित के अधीन रहते हुए कोई दस्तावेज़ या जानकारी प्रदान करूंगा -

क) ऐसे दस्तावेज़ जो वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील प्रकृति के नहीं हैं, अनुरोध करने पर तुरंत प्रस्तुत किए जाएंगे ।

ख) ऐसे दस्तावेज़ को वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील प्रकृति के हैं(उदाहरणार्थ, मूल्यांकन रिपोर्टें, समाधान योजनाएं, सम्यक् तत्परता रिपोर्टें, आदि) केवल तभी प्रस्तुत किए जाएंगे जब ई.डी. ऐसी संवेदनशीलता को लिखित में स्वीकार करता है और उसकी अपेक्षा की पुष्टि करता है ।

**6. वचनबंध की कालावधि**

इस वचनबंध के अधीन बाध्यताएं समाधान योजना के अनुमोदन/न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा विघटन आदेश(जो भी लागू हो) तक प्रभावी रहेंगी ।

हस्ताक्षर.....

आई.पी. का नाम.....

तारीख.....